

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: आदेश :—

संचिका सं०-6/वि०पत्रा०-24-36/2023-604 /पटना, दिनांक-04/02/2025

मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए पूर्व में निर्गत कार्य आवंटन संबंधी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अगले आदेश तक निम्नवत् कार्य आवंटित किया जाता है :-

क्र० स०	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान आवंटित कार्य/शाखा
1	2	3
1	श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य-कर विशेष आयुक्त	अपने पूर्व आवंटित कार्यों के अतिरिक्त अंकेंक्षण शाखा का वरीय प्रभार।
2	श्री सच्चिदानन्द शर्मा, राज्य-कर विशेष आयुक्त	अपने पूर्व आवंटित कार्यों के अतिरिक्त राजस्व पर्षद से प्राप्त पत्र के आलोक में विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न अधिकोष को संशोधित/परिवर्धित से संबंधित कार्य।
3	श्री रणजीत कुमार (बि०प्र०से०) विशेष कार्य पदाधिकारी	अपने पूर्व आवंटित कार्यों के अतिरिक्त अराजपत्रित स्थापना शाखा का वरीय प्रभार।
4	श्री पंकज कुमार प्रसाद, राज्य-कर अपर आयुक्त	अपने पूर्व आवंटित कार्यों के अतिरिक्त कर शाखा का वरीय प्रभार।

2. शेष आदेश यथावत् रहेगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 6/वि०पत्रा०-24-36/2023-604

/पटना, दिनांक-04/02/2025

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री (वाणिज्य-कर) के आप्त सचिव/
राज्य-कर आयुक्त सह-सचिव के आप्त सचिव/राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव
के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन/अंकेंक्षण/
अपील/वसूली कोषांग)/सभी अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग/केन्द्रीय
अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी, मुख्यालय,
बिहार, पटना/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।